

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 44 / प्र०३०-मध्यन / जौन-१ / २०११-१२ दिनांक २१/०९/२०१२

अनुमति-एवं

यह अनुमति उ०३० नगर निर०)जन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है। किन्तु इस यह न रागड़न चाहिये कि लख यूनि के रानच में जिस ५५ व्यवसायिक/कार्यालय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी ड्लाइर या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्न के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई जसर पढ़ना अचूर् ४८ अनुमति केसी के भेत्रियत या स्वामेल के अधिकारों के द्विघ लेई प्राप्त न रखेगी।

श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र स्व० संथ नारायण अग्रवाल विकासकर्ता श्री संजीव अग्रवाल, ए००८०० मॉ ललिता इन्टरटेनमेन्ट एण्ड डेवलपर्स प्रा०१०० स्थल नजूल फ्री होल्ड भूखण्ड संख्या-A/2/B सिविल स्ट्रेशन, इलाहाबाद जौन संख्या (१) के अन्तर्गत व्यवसायिक/कार्यालय भवन के निर्माण की अनुमति देखु पर्खेल मानचित्र ले प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निर्माकेल प्रतिवेद्यों के छठीन प्रदान की जाती है।

१. उ०३० नगर नियोजन इन विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के प्राप्तियानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त द्वेष के प्रदाता ही तमाम/अधिभोग किया जायें। भवन निर्माण एवं विकास उपयोगी २००८ में उपर्योग संख्या २.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. इह स्वीकृति अनुरूप (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्व होने ले उपर्योग, उपर्योग की आवश्यकता Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के प्रदाता, निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस नियोग को वास्तविक उपयोग ने लाया जा सकेगा।
३. स्थल नं ४X३ किट का एक लोह लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी दिवरण अकित किया जायेगा।
४. रवानीत सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
५. स्थल पर ५ वृक्ष लगाने दोगे तथा वृक्षों को इस गर रखने का वारेत्व निर्माण/विकासकर्ता के होगा।
६. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा रामबन्धी अनापति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
७. वर्षा जल संचयन प्रणाली मानूर के अनुसार पूर्ण करते हुए बू-गार्भ जल विभाग से अनागति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
८. स्थल पर आन्तरिक विकास लर्ज प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस देखु यादे बाद यिकास बुल्ल गे कोई दोषतारी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
९. मुख्य शास्त्रीय जनन अधिकारी की अनापति दिनोक १३.०६.२०१२ में अंकित प्रतिवेद्यों का अनुमालन करना दोगा तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व अन्तिम अनागति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
१०. नगर आद्यल, नगर नियम इलाहाबाद की अनापति दिनोक २५.०६.२०१२ ते अंतिम प्रतिवेद्यों जो मुख्यतः निर्माण है का अनुमालन करना होगा।
- भवन निर्माण के सभी नगर नियम की अवस्थामा सुविधाओं की क्षमता नहीं होती रहिए यदि उपर्योग सुविधा की कोई विधि होती है तो उसका नव निर्माण/मरम्मत कार्ड आवेदक/विकासकर्ता को करना होगा।
- स्थल पर जल नियासी के समुद्रेश प्रबन्ध करना होगा।

Received Suction Map

1 Set and Permit letter

B/20 New
938945822
Continued



